

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक पं० ६(३०)नवि/३/२००७

जयपुर दिनांक

6 OCT 2007

परिपत्र

**विषय :-** कृषि भूमि नियमन के अन्तर्गत अवाप्त भूमि / राजकीय भूमि के नियमन के संबंध में।

कृषि भूमि नियमन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जिन भूमियों दो किसी भी अर्जन अधिनियम के तहत अदान्त की जाकर अन्तिस रूप से स्थानीय निकाय में निहित हो चुकी एवं अवाप्ताधीन भूमि या अन्य राजकीय भूमि जिन पर उन्हें निर्माण अहकारी समितियों द्वारा आवंटन पत्र द्वारा अदान्त पंजीकृत अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदकर या किसी अन्य प्रकार से अतिक्रमण कर लिया गया है, के नियमन के संबंध में इस विभाग के आदेश क्रमांक ६(३)नविवि/३/९९ दिनांक 10.07.99 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गये थे।

तत्पश्चात् परिपत्र क्रमांक ६(६)नविवि/३/९९ दिनांक 26.05.2000 के द्वारा किसी स्थानीय निकाय की अवाप्ताधीन योजना में यदि अवार्ड जारी होने के उपरान्त संबंधित स्थानेदार द्वारा अवैधानिक भूखण्ड काटकर बेद्द दिये गये हैं तथा जिन पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है ऐसे भूखण्डों के बारे में नियमन के लिये संबंधित नगर विकास न्यास / स्थानीय निकाय निर्णय लेने में सक्षम होने के निर्देश दिये गये थे। सामान्य तौर पर ऐसे प्रकरणों में भूमि का कब्जा प्राप्त कर योजना को क्रियान्वित करने, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि योजना की क्रियान्विती सम्बद्ध नहीं हो तो ऐसे भूखण्डों का नियमन किये जाने के भी निर्देश दिये गये थे।

इस विभाग के आदेश क्रमांक ६(६)नविवि/३/९९ दिनांक 16.02.2002 के द्वारा नगर विकास न्यास / प्राधिकरण / स्थानीय निकाय की अवाप्ताधीन भूमि जिन पर अवैधानिक रूप से भूखण्ड काटकर बेद्द दिये गये हैं के संबंध में यह निर्देश दिये गये कि चक्का निकायों के अवाप्त या अवाप्ताधीन भूमि में अशंत: रिक्त भूमि या संघन निर्माण न होने की दशा में उनके नियमन का प्रस्ताव उनके द्वारा लेने पर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर उनके द्वारा नियमन किया जा सकेगा, किन्तु यदि निर्माण ६० प्रतिशत से अधिक भूमि पर है तो न्यास, प्राधिकरण या स्थानीय निकाय अपने तत्त्व पर निर्णय कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जिन अवाप्ताधीन भूमियों पर न्यास / प्राधिकरण / स्थानीय निकाय के द्वारा वार्षिक भूमि देने की योजना सनाई ऑफिस अग्रणी दिनांक २५.१०.२००८ की

गई है तो ऐसे कियान्वित नहीं किया गया है तो ऐसी भूमियों पर खातेदार या भूमिघारक के प्रार्थना पत्र पर गुण व दोष को देखते हुए नियमन का आदेश संबंधित संस्था को दिया जा सकता है। सहकारी समिति की किसी योजना में राजकीय भूमि आ जाने पर धृदि योजना में शामिल राजकीय भूमि 2 बीघा तक है तो उसका नियमन न्यास/जिला/सभानीय निकाय हारा किया जाने तथा 2 बीघा से अधिक भूमि होने पर उसके नियमन हेतु राज्य सरकार की अनुमति लिए जाने के प्रावधान किये गए थे।

इसके पश्चात् मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा सं. प. 4(5)मंग./94 दिनांक 30.06.2003 के द्वारा कृषि भूमि नियमन के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें राजकीय भूमि/अवाप्त भूमि के नियमन का प्रस्ताव हो का कार्य सम्पादन करने के लिए भूमि अवाप्ति से मुक्त करने संबंधी कार्य को सम्पादित करने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रीगण की उप-समिति को अधिकृत किया गया था।

अब पुनः पूरे ग्रामीण भूमि की तादाद में नियमन हेतु लम्बित प्रकरणों को जनहित में नियमारण करने को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प. 4(1)मंग./88 पार्ट-ा दिनांक 21.09.2007 के द्वारा भूमि अवाप्ति के पैर्ट ने एकलगांव में धाराशुदा भूमि के बढ़ते 15 प्रतिशत विकसित भूमि के आदान के निर्णय हेतु गठित मंत्रीगण की उप समिति को कृषि भूमि नियमन के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि के नियमन का प्रस्ताव हो के नियमन के संबंध में निर्णय हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

अतः ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि अथवा राजकीय भूमि के नियमन का प्रस्ताव हो इस संबंध में प्रचलित आदेश/निर्देश के अनुसार न्यास/बौद्ध/प्राधिकरण में निर्णय लिया जाकर पूर्ण लिवरण के साथ धीमे राज्य सरकार को प्रेषित किये जाएं ताकि समुचित निर्णय हेतु ऐसे प्रकरणों को उप समिति के समझ दिवारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

(परविन्दर सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

— अधिकारी ग्राम मंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार

15264081

3

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. शासन सचिव, भविमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके हाथ जारी आङ्ग क्रमांक ये. द(1)मं.भै/१५-पार्ट-१-जयपुर-दिनांक-२४.०९.०७-के क्रमांक-
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, एन.सी.आर., राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय नियाय विभाग, जयपुर।
13. सचिव, नगर संधार न्यास,
14. गार्ड फार्म।

*कृष्ण*  
 (महेश चन्द्र हार्ष)  
 शासन उप सचिव-अधम